फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट
1. सोहनी पत्नी स्व श्री पेमाराम
2. मैना पुत्री स्व श्री पेमाराम
3. रेखा पुत्री स्व श्री पेमाराम जातियान बावरी, निवासी बासना, तहसील सोजत, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट
1 अनाराम
2 मोडाराम
3 नेमाराम पिसरान स्व श्री मगाराम
4 मीरा पुत्री स्व.श्री मगाराम
5 लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री मगाराम, जातियान बावरी निवासीगण बासना, तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान
6 तहसीलदार, सोजत, तहसील सोजत जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व अपील संख्या 12/2018
(आरसीएमएस नम्बर –2018/00055)
किस्म मुकद्दमाः अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.03.2018	अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम बासना के म्युटेशन संख्या 348 व 351 दिनांक 09.06.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक **11.04.2018** को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली	516,17 21/3/18
11.04.2018	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब प्रस्तुत किया तथा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बासना तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 348 व 351 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.1993 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक मगाराम के विधिक वारिशान की जांच कर हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली**	अ.नि. अनाराम मोडाराम नेमाराम अ.नि. मीरा अ.नि. लक्ष्मी